अध्यापक शिक्षा के विभिन्न साधनों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण

The National levels in the context of various agencies of Teacher Education

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C) University Grants Commission

भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है।

इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके Six 6 क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में है। स्थापित - 1956, अध्यक्ष - प्रो० धीरेन्द्र पाल सिंह (Dec. 2017)

आयोग की स्थापना के समय - मौलाना आजाद एवं डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings ✓

28 Dec. 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर Univ. Grants Commission की नींव रखी थी। इसके बाद 1956 में जाकर ही U.G.C. को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया।

U.G.C. शिक्षा की गुणवत्ता और मानक को बेहतर बनाने का प्रयास करता है - यह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान भी देता है। और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान भी देता है। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों और शुरू होने वाली विभागों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्तमान में - प्रो० धीरेन्द्र पाल सिंह (D.P. Singh) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं

(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (N.C.E.R.T.) National Council of Educational Research and Training) ⇒ इस परिषद की स्थापना सन 1961 ई० में हुयी। इसके चार क्षेत्रीय महाविद्यालय - अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings ✓

तथा भोपाल में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जिसके कई विभाग है। शोध एवं प्रशिक्षण कार्य शिक्षा के अन्तर्गत किया है शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का संगठन है इसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (National Institute of Education) भी कहते है। विभिन्न राज्यों में इसके केन्द्र भी स्थापित किए गए है। इस परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है।

(1) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (N.I.E) और क्षेत्रीय महाविद्यालयों का संचालन एवं प्रशासन करना है।

(2) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सुधार हेतु शोध कार्य और शोध कार्यो को अनुदान देना है।

(3) प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करते हुए उन्हें छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है।

(4) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं हेतू शोध कार्यो के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

(5) उत्तम प्रकार की अनुदेशन सामग्री का प्रकाशन करना, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयो को निर्देशन प्रदान

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings	✓
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐
	☐		☐		☐

कर सकें। और वे इसे उपयोग भी करें।

क्षेत्रीय महाविद्यालय (Regional College of Education) = ये भी अध्यापक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन महाविद्यालयों के मुख्य कार्य दो है —

(1) अध्यापक-शिक्षा में विशिष्टता तथा श्रेष्ठता प्राप्त करना।

(2) प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रसार-सेवा प्रदान करना तथा अपने क्षेत्र की विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाना।

इसके अतिरिक्त प्रमुख विशेषतायें हैं —

(1) अन्तः अनुशासन आयाम का अध्यापक-शिक्षा में प्रयोग करना।

(2) अन्तः अनुशासन आयाम का शिक्षण में प्रयोग करना।

(3) इंटर्नशिप शिक्षण का प्रयोग करना।

(4) छात्रों में स्वः अध्ययन की आदतों को विकसित करना।

इस परिषद् के अन्तर्गत अनेक विभाग हैं अध्यापक शिक्षा विभाग भी है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। N.C.E.R.T. के अध्यापक शिक्षा विभाग के कार्य इस प्रकार भी हैं।

Important Calls | Things to Do | Meetings